राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 1190/2013/जोधपुर

सहायक आयुक्त,
वृत–सी, जोधपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स दौलत इण्डस्ट्रीज,
जोधपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई
उपराजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सुभाष सैठिया
अधिकृत प्रतिनिधि। ..... प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 25.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), वृत–सी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) के तहत् पारित किये गये आदेश दिनांक 11.03.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्रोत्साहन योजना के तहत जारी प्रमाणपत्र के अनुसार लाभ देने को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर पुनः आदेश पारित किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त सी, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी का वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग राशि कायम की गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थी अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिये। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.03.2013 से व्यथित होकर उक्त समस्त अपीलें प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4 इस संबंध में प्रत्यर्थी व्यवसायी के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.01.2015 की प्रति पेश कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2013 के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिनकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया गया है

25/10/17

लगातार.....2.

व अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.03.2013 के आदेश को भी पुनः पारित कर, कर निर्धारण आदेश में सम्मलित कर लिया है। अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी हैं। अतः प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये बिना प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्राथमिक आपत्ति के संदर्भ में कथन किया कि प्रस्तुत समस्त अपीलों को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59 व 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक निर्णय 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) व कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2353/2008/भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.07.2011** तथा **कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित निर्णय 38 टैक्स वर्ल्ड 16** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.03.2013 में पारित निर्देशों की पालना में दिनांक 30.01.2015 को आदेश पारित करने के फलस्वरूप वर्तमान अपील "सारहीन" होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7. परिणास्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

25/10/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य